


बहस उभय पक्ष सुनी। परोकार सरकार द्वारा दौराने बहस व्यक्त किया गया कि पुलिस अधीक्षक झालावाड़ द्वारा अनुज्ञापत्रधारी के विरुद्ध प्रकरण में 400 रुपये से दण्डित किया जाना अंकन करते हुए अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किया जाना उचित नहीं होना उल्लेखित करते हुये असहमति प्रकट किये जाने पर ही अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र निरस्त कर शस्त्र को संबंधित थाने में जमा करने का आदेश क्रमांक 1685 दिनांक 16.03.2017 (क्र0स0 06 के सन्दर्भ में) पारित किया गया था जो सही है। इस पर अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा लिखित बहस की पुष्टी करते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थी के विरुद्ध मात्र एक प्रकरण में माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भवानीमण्डी द्वारा परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत 400/- रुपये से दण्डित किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा 01.10.2011 को प्रकरण का निस्तारण किया गया है उसके बाद से अप्रार्थी के विरुद्ध किसी भी तरह का कोई प्रकरण दर्ज नहीं है। अनुज्ञापत्र निरन्तर नवीनीकरण होता रहा है। माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा द्वारा पारित आदेश की पालना में अनुज्ञापत्र 1686 बहाल किया जाकर अनुज्ञापत्र आगामी अवधि के लिये नवीनीकृत किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। कार्यालय द्वारा अनुज्ञापत्रधारी के अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण बाबत रिपोर्ट पर पुलिस अधीक्षक झालावाड़ द्वारा अनुज्ञापत्रधारी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज होने से अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किया जाना उचित नहीं होना उल्लेखित करते हुये असहमति प्रकट की गई उक्त रिपोर्ट के मध्यनजर आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 के तहत प्रदत्त शक्तियों के आलोक में तत्समय जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़ द्वारा शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र निरस्त कर शस्त्र को संबंधित थाने में जमा करने का आदेश क्रमांक 1685 दिनांक 16.03.2017 (क्र0स0 06 के सन्दर्भ में) पारित किया गया था। चूंकि तत्समय पुलिस अधीक्षक, झालावाड़ द्वारा पत्रांक 5429 दिनांक 22.04.2016 को भिजवाई रिपोर्ट में आर्म्स लाईसेन्स नवीनीकरण उचित नहीं बताते हुए असहमति व्यक्त किये जाने पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया जाकर शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 1686/2000 निरस्त किया गया था तत्समय की गई पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट को दरकिनार कर शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल किया जाना हमारी राय में उपयुक्त नहीं है। अतः पूर्व में कार्यालय द्वारा पारित आदेश 1685 दिनांक 16.03.2017 (क्र0स0 06 के सन्दर्भ में) यथावत रखा जाता है। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2018 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)  
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,  
झालावाड़

निर्णय बईजलास निर्णय बईजलास डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी आई0ए0एस0  
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़(राजस्थान)

मि0न0 47/17

तारिख दायरा: 08.06.2017

राजस्थान सरकार जरिये जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़  
बनाम

(प्रार्थी)

राणाप्रताप सिंह आ0 मोडसिंह राजपूत नि0 ग्राम सिरपोई थाना सुनेल  
तहसील पिड़ावा, झालावाड़

(अप्रार्थी)

प्रा0पत्र अन्तर्गत आर्म्स एक्ट

उपस्थित:- पेरोकार सरकार

श्री अजीत सिंह झाला अभिभाषक अप्रार्थी

—: निर्णय :-

दिनांक: 17.01.2018

उक्त प्रकरण न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय कोटा के निर्णय दिनांक  
22.05.2017 से पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु प्राप्त हुआ है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि अप्रार्थी द्वारा अपने शस्त्र  
अनुज्ञापत्र संख्या 1686/2000 के अवधि 01.01.2016 से 31.12.2018 तक के लिये  
नवीनीकरण हेतु कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़ के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया  
गया था, आवेदन प्राप्त होने पर कार्यालय द्वारा अनुज्ञापत्रधारी के आचरण एवं आपराधिक  
पृष्ठभूमि के संबंध में पुलिस अधीक्षक झालावाड़ से जांच रिपोर्ट ली गई। पुलिस  
अधीक्षक झालावाड़ द्वारा अनुज्ञापत्रधारी के विरुद्ध प्रकरण में 400 रुपये से दण्डित किया  
जाना अंकन करते हुए अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किया जाना उचित नहीं होना उल्लेखित  
करते हुये असहमति प्रकट की गई उक्त रिपोर्ट के मध्यनजर आर्म्स एक्ट 1959 की धारा  
17 के तहत प्रदत्त शक्तियों के आलोक में जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़ द्वारा अनुज्ञापत्रधारी  
का अनुज्ञापत्र निरस्त कर शस्त्र को संबंधित थाने में जमा करने का आदेश क्रमांक 1685  
दिनांक 16.03.2017 (क्र0स0 06 के सन्दर्भ में) पारित किया गया था। तत्पश्चात  
अनुज्ञापत्रधारी द्वारा उक्त आदेश की अपील माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा  
के समक्ष प्रस्तुत की जाने पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या  
27/2017/अपील/आर्म्स/झालावाड़ निर्णय दिनांक 22.05.2017 से अपील आंशिक रूप  
से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त किया गया व प्रकरण पुनः विधिसम्मत  
निर्णय पारित करने के निर्देश दिये गये।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया व अप्रार्थी को न्यायालय में अपना  
पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया। अप्रार्थी की और से अभिभाषक श्री अजीत सिंह  
झाला का वकालतनामा प्रस्तुत हुआ एवं उपस्थित हुए।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,  
झालावाड़